

भारत सरकार कार्यालय आयकर आयुक्त बीकानेर-334001	 सत्यमेव जयते	Govt. of India Office of the Commissioner of Income-tax Bikaner-334001
क्रमांक आ.आ./बीका/आ.अ.(तक)/2009-10	1241	दिनांक: 23.09.2009

उरमूल रूरल हैल्थ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट,  
उरमूल कैम्पस,  
बीकानेर

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80<sup>जी</sup> के अंतर्गत  
छूट-नवीनीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत आपको छूट दी जाती है। आपको दानकर्ता द्वारा दिया गया अनुदान, उसके पक्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी की छूट के अंतर्गत उस सीमा तथा शर्तों के अनुरूप होगा जो कथित धारा में विहित है।

2 यह छूट प्रमाण-पत्र निम्नलिखित अवधि के लिए मान्य होगा-

अवधि 01.04.2008 से 31.03.2011 तक।


ह0

( बी पी जैन )  
आयकर आयुक्त,  
बीकानेर

प्रतिलिपि-

1. संस्था को।
2. श्रीमान अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1, बीकानेर।



  
(डी के अस्थाना )  
आयकर अधिकारी(तक)  
कृते आयकर आयुक्त,  
बीकानेर

कृ.प.उ.....2